



## हरियाणा के कृषि विकास स्तर में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के प्रमुख सुझाव – एक समीक्षा

**Mrs. Anjana**

**Assistant Professor, GCW, Sec. 18, Rewari(Haryana) .**

### परिचय :-

हरियाणा राज्य के उत्तर पश्चिम में पंजाब तथा उत्तर-पूर्व में यमुना नदी उत्तर-प्रदेश राज्य की सीमा निर्धारित करती है। हरियाणा राज्य के पश्चिम व दक्षिण में राजस्थान विस्तृत है दक्षिण-पूर्व में केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली है। हरियाणा भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में पंजाब के मैदान के दक्षिणी भाग में 27° 39' उत्तरी अक्षांश से 30° 55' उत्तरी अक्षांश तथा 74° 28' पूर्वी देशान्तर से 77° 36' पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है हरियाणा भारत का भू-आण्वेपित राज्य है जिसका क्षेत्रफल 44212 वर्ग किलोमीटर है जो देश के कुल क्षेत्रफल का 1.34 प्रतिशत है। वर्तमान में हरियाणा में 22 (बाईस) जिले हैं। चण्डीगढ़ पंजाब व हरियाणा की सांझी राजधानी होने के साथ-साथ केन्द्रशासित प्रदेश भी है।



### हरियाणा के कृषि विकास स्तर में क्षेत्रीय असन्तुलन से दूर करने हेतु सुझाव :-

#### 1. सिंचाई की सुविधा :-

हरियाणा राज्य की अधिकांश कृषि मानसून वर्षा पर आधारित है जब भी मानसून आती है तो कृषि फसलें अच्छी पैदा होती है लेकिन मानसून के अभाव में नहर एवं ट्यूबवैल से फसलों की सिंचाई कर फसले ली जाती है। हरियाणा में भी विशेषकर दक्षिणी हरियाणा के रेवाड़ी महेन्द्रगढ़ क्षेत्रों में फसलों को बेहतर सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए नहरों का निर्माण किया जाना चाहिए ताकी किसान नलकूप एवं ट्यूबवैल पर निर्भर न रह सकें तथा फसल उत्पादकता एवं उसकी गुणवत्ता सिंचाई सुविधा होने पर बढ़ाई जा सके। हरियाणा के उपरोक्त जिलों में भूमिगत जल स्तर काफी नीचे चला गया है। अर्न्तराज्य जल सम्बन्धों के अनुसार हरियाणा राज्य का समूचित जल प्राप्त करके हरियाणा के पिछड़े प्रदेशों में छोटी नहरों का निर्माण कर पानी की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। यमुना नदी के अतिरिक्त पानी को अन्य नहरों से जोड़ा जाना चाहिए ताकी राज्य के सभी किसानों को समान पानी मिल सके और कृषि विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जा सके।

#### 2. बेहतर खाद – बीज वितरण की उचित व्यवस्था :-

हरियाणा प्रदेश में कुछ एक क्षेत्र/जिलों को छोड़कर कृषि विकास तीव्र गति से हुआ है। हरित क्रान्ति का प्रभाव पंजाब एवं हरियाणा में सबसे अधिक हुआ हालांकी कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जहाँ कृषि विकास पिछड़ी अवस्था में है इसके प्रमुख कारण किसानों का उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, नहरी पानी, आधुनिक कृषि यन्त्र एवं कृषि शिक्षा का ज्ञान न होना आदि है। राज्य सरकार द्वारा फसल बुवाई से पहले उन्नत किस्म में बीजों एवं उर्वरकों के बारे में अखबार के माध्यम से विज्ञापन निकालना चाहिए साथ ही किसानों को प्रशिक्षण की

व्यवस्था भी उपलब्ध करानी चाहिए ताकी वितरण प्रणालियों में भी सुधार किया जा सके। सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदानित बीज एवं उर्वरकों के वितरण, मूल्य छूट का लाभ निर्धन एवं पिछड़े किसानों को सीधे ही उनको मिलना चाहिए ताकी बिचोलियों को समाप्त किया जा सकें किटनाशक और किटनाशकों की उदर आपूर्ति पूरे राज्य में सस्ते दरों पर बांटी जानी चाहिए।

### 3. कुटीर एवं लघु ग्राम उद्योगों का विकास :-

गत दशक में कार्यशील जनसंख्या में काफी कमी आई है जो ग्रामीण बेरोजगारी का संकेत है साथ ही मानसून के विफल होने पर ग्रामीण किसान के पास कोई रोजगार नहीं होता ऐसे में उसे दर-दर भटकना पड़ता है ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर एवं लघु उद्योग स्थापित करने पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी तथा उन्हें ऑफ सीजन के दौरान व्यस्त भी रखा जा सकेगा। अतः राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत कुटीर उद्योगों को पूर्णजीवित किया जाना चाहिए।

### 4. वैज्ञानिक खेती :-

हरियाणा प्रदेश में बहुत सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ अभी भी बैल, ऊँट या किराये पर फसलें उगाई जाती हैं किसानों के पास बहुत अधिक जमीन नहीं है। किसानों को कृषि फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक खेती पर बल देना चाहिए। किसानों को फसलों के रोटेशन, आधुनिक कृषि यन्त्रों एवं उचित किटनाशकों जैसी तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। प्रायः यह देखने में आया है कि अधिकांश कृषि यन्त्र सम्पन्न व बड़ी जोत वाले कृषकों के पास ही पाए जाते हैं इसलिए सरकार को निर्धन कृषकों के लिए उदार निति अपनाकर आधुनिक कृषि यन्त्र एवं औजार तथा ऋण की सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जानी चाहिए व निर्धन किसानों को निशुल्क कृषि यन्त्रों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

### 5. भूमि सुधार :-

हरियाणा प्रदेश में कृषि विकास के लिए भूमि सुधार हेतु निर्धन किसानों के उबड़-खाबड़ पड़े खेतों को सरकारी मशीनरी द्वारा न्यूनतम मूल्य पर लेवल किया जाए ताकी किसान कम से कम पैसे में भूमि को समतल करवाकर उचित सिंचाई प्रबन्ध द्वारा अधिक से अधिक पैदावार ले सके। मिट्टी के जल भराव व कटाव की समस्या को हल किया जाना चाहिए। बंजर भूमि को उपयोग में लाया जाना चाहिए ताकी कृषि क्षेत्र को अधिक से अधिक पैदावार ली जा सके। मौजूदा भूमि खामियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए ताकी अधिशेष भूमि को सीमान्त एवं छोटे किसानों के बीच वितरित किया जा सके।

### 6. ग्रामीण विद्युतीकरण :-

वैसे तो हरियाणा देश का पहला राज्य है जहाँ सभी गाँवों में सबसे पहले बिजली की सुविधाएँ पहुँची लेकिन किसानों की सबसे बड़ी समस्या है 24 घन्टे बिजली का न होना। अधिकांश किसान कृषि नलकूपों एवं ट्यूबवैलों पर ही निर्भर हैं अतः सरकार को चाहिए की न्यूनतम दर पर किसानों को कृषि सिंचाई में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। फसलों में पानी देने के वक्त बिजली के बार-बार लगने वाले कट से किसानों की ट्यूबवैल एवं नलकूप मोटर जल जाती है ऐसे में सरकार को चाहिए की हरियाणा के सभी गाँवों में 24 घन्टे बिजली उपलब्ध कराए।

### 7. शिक्षा का प्रचार-प्रसार :-

हरियाणा में कैथल, पलवल, मेवात, फतेहाबाद, सिरसा आदि अनेक जिले हैं जहाँ साक्षरता प्रतिशत कम पाया जाता है लेकिन हरियाणा के अनेक ऐसे भी जिले हैं जहाँ साक्षरता प्रतिशत तो अधिक है लेकिन कृषि क्षेत्र में वह काफी पिछड़ा हुआ है अतः ऐसे में ग्रामीण साक्षरता के साथ प्रोढ़ शिक्षा केन्द्रों का भी विस्तार किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आना होगा ताकी क्षेत्रीय वातावरण के अनुसार कार्यक्रमों का समावेश कर किसानों में शिक्षा के प्रति रुचि एवं जागरुकता लाई जाए। इस प्रकार के कार्यों में महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, विद्यालय एवं प्रशिक्षण विद्यालयों के अध्यापकों व छात्रों को भागीदार बनाकर प्रोढ़

कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। किसानों के लिए हर एक जिले में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की जाए ताकी वे वहाँ से कृषि फसलों की नई जानकारी हासिल कर सकें। कृषि विश्वविद्यालय में कृषि विभाग द्वारा किसानों की खेती सम्बन्धी कार्यों को लेकर किसानों को शिक्षित करना चाहिए।

#### 8. कृषि के साथ-साथ पशु नस्ल सुधार एवं पौष्टिक आहार में वृद्धि :-

राज्य की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर करती है। यहाँ पर पशुपालन में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़े, ऊँट, सूअर व कुत्ते आदि पाले जाते हैं लेकिन भैंसे सर्वाधिक मात्रा में पाली जाती है। ऐसे में सरकार को चाहिए की पशुओं की अच्छी नस्लों का विकास करने हेतु हरियाणा प्रदेश में क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों को देखकर अधिक कृत्रिम गर्भधारण केन्द्र खोले जाएं एवं उत्तम नस्ल के नर पशु उपलब्ध करवाएँ जाने चाहिए, साथ ही पशुओं में पौष्टिक चारे के उत्पादन बढ़ाने हेतु उन्नत किस्म के बीजों का भी वितरण किया जाना चाहिए। राज्य में पशुओं के चारे हेतु भूसे का प्रयोग किया जाता है। पशुओं के उत्तम आहार की जानकारी हेतु विशेष प्रकार के शिविरों का आयोजन भी किया जाना चाहिए।

#### 9. नहरों का समान वितरण :-

हरियाणा राज्य में नहरों की सबसे कम संख्या दक्षिण हरियाणा क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें विशेषकर गुरुग्राम, मेवात, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़ आदि जिले शामिल हैं यहाँ के किसान अपनी फसलों की सिंचाई हेतु कुँओं एवं ट्यूबवैलों का प्रयोग करते हैं प्रत्येक वर्ष इसी तरह होने वाली सिंचाई से भूमिगत जल स्तर में गिरावट आई है वर्तमान समय में कुँओं की गहराई 450 फीट तक पहुँच गई है वहीं महेन्द्रगढ़ के गोद बलाह नामक गाँवों में तो पानी ही सूख चुका है हालात इतनी खराब हैं कि लोग गाँवों को छोड़कर दूसरी जगह पलायन करने को मजबूर हैं ऐसे में सरकार को चाहिए की इन क्षेत्रों में नहरों की स्थापना करवाकर पानी की उपलब्धता करवाएँ ताकी सभी प्रदेशों में कृषि एवं पेयजल का समान वितरण हो सके व सभी किसान इसका लाभ ले सकें। नहरों से दूर-दराज के खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए छोटे नालों का निर्माण करवाया जाएँ ऐसा होने पर ही कृषि विकास स्तर के क्षेत्रीय असंतुलन को कम किया जा सकता है।

#### 10. मिश्रित कृषि पर बल :-

हरियाणा के कृषि विकास में पिछड़े क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए सरकार को चाहिए कि ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में मिश्रित कृषि बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए जिससे कृषि में पिछड़े क्षेत्रों को ऊपर उठाने में मदद मिलेगी व कृषि विकास स्तर में प्रादेशिक असंतुलन भी समाप्त होगा।

मिश्रित खेती से अभिप्राय फसल की खेती, पशुपालन, सब्जी व फल के उत्पादन आदि से है। किसानों की माली हालात में सुधार के लिए डेयरी फार्मिंग का भी प्रात्साहित करना चाहिए।

#### 11. मृदा-अपरदन रोकने के उपाय :-

मृदा अपरदन नहरी अभाव क्षेत्रों में विशेषकर देखने को मिलते हैं विशेष रूप से रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़ एवं भिवानी इसमें शामिल है जहाँ रेतीले टिल्लों की प्रधानता देखने को मिलते हैं यहाँ वायु द्वारा अपरदन अधिक होता है तो हरियाणा के पूर्वी भागों में लगते जिलों में जल अपरदन अधिक देखने को मिलता है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तेज धूल भरी आँधियाँ दक्षिणी हरियाणा में मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारण है। मृदा अपरदन की गम्भीर समस्या के समाधान हेतु किसान को कृषि प्रणाली में परिवर्तन करना चाहिए, भूमि को पवनों की दिशा के समकोण पर जोतना चाहिए, खेतों की मेदो पर वृक्षारोपण अधिक करना चाहिए, पशुचारण पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए, फलीदार कृषि फसले उगानी चाहिए। सरकार को चाहिए की मृदा अपरदन की समस्या को दूर करने हेतु किसानों को नए-नए सुझावों से अवगत कराया जाए तथा कृषि वैज्ञानिकों की विशेष कमेटियाँ बनाकर किसान मेलों का आयोजन कराया जाना चाहिए जिससे किसानों को फसलों एवं मृदा के सम्बन्ध में विशेष परामर्श लाभ प्राप्त हो सके।

**12. कीटनाशक रसायनों का प्रयोग :-**

वर्तमान कृषि में जैसे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग आवश्यक हो गया है वैसे ही पौध संरक्षण के लिए कीटनाशक रसायनों का प्रयोग भी आवश्यक हो गया है। उर्वरक जहाँ फसल की उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं वहीं कीटनाशक रसायन फसलों में होने वाले नुकसान को रोकते हैं। फसलों में रोग लग जाने से पौधे मर जाते हैं जिससे उपज की गुणवत्ता में भी गिरावट आती है खेतों में विभिन्न प्रकार की घासे, उगने लगी है जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था अतः फसल को कीटों तथा रोगों से बचाने के लिए कीटनाशक रसायनों का प्रयोग बढ़ गया है सरकार को चाहिए कि किसानों के खेतों में फसलों की जाँच कर उचित सलाह के साथ सस्ते मूल्य पर कीटनाशक दवाओं की उपलब्धता करवाएँ ताकी किसान सही मात्रा में उसका उपयोग कर अपनी फसलों में लगने वाली अनेकों बिमारियों एवं कीटों से बचाव कर सके।

**13. किसान क्रेडिट कार्ड सुविधाएँ :-**

कृषि फसलों के लिए किसानों को उचित ब्याजदर पर ऋण की सुविधाएँ दिया जाना चाहिए। हालांकी हरियाणा सरकार ने इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध तो करवाई हैं लेकिन बावजूद इसके छोटे किसानों के लिए इसे और आसान बनाना चाहिए ताकी बिना डर के किसान अपनी फसलों को उगा सके, किसानों को दूर न जाना पड़े इसके लिए छोटे वाणिज्यिक बैंको का निर्माण गाँवों के आस-पास करना चाहिए।

**14. किसान हित में कुशल प्रशासनिक योजनाएँ बनाना :-**

वैसे तो प्रदेश में आई सभी सरकारों ने कृषि विकास की अनेक योजनाएँ बनाई है लेकिन ये विभिन्न योजनाएँ केवल कागजों में ही सिमट कर रह जाती है उनका धरातलीय स्तर पर कोई क्रियाव्ययन नहीं हो पाता है और किसान उनका कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि किसानों के हितों को ध्यान में रखकर जो उचित योजनाएँ बनाई जाए उनका मॉनीटरिंग धरातलीय स्तर पर करवाई जाए ऐसे में कुछ कमेटियों में गाँवों के पंच-सरपंचों के साथ किसानों को भी शामिल किया जाए ताकी बनाई गई कमेटियों द्वारा वास्तविक स्थिति का आंकलन किया जा सके।

**15. कृषि विकास स्तर में प्रादेशिक असन्तुलन को दूर करने के कुछ अन्य सुझाव :-**

- (1.) अविकसित कृषि क्षेत्रों के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान करके विकसित कृषि में सहयोगी कारकों का उपयोग करना चाहिए।
- (2.) पुरानी परम्परागत अथवा रुढ़ीवादी कृषि की अपेक्षा वैज्ञानिक एवं तकनीक कृषि पर विशेष बल देना चाहिए।
- (3.) जहाँ कम वर्षा एवं कम सिंचाई वाले क्षेत्र हो वहाँ पर शुष्क कृषि एवं फव्वारा, टपका तथा मटका कृषि सिंचाई की विधियों को अपनाना चाहिए।
- (4.) जीवन निर्वाह कृषि की अपेक्षा बहुफसली एवं व्यापारिक कृषि पर बल देना चाहिए।
- (5.) कृषि फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर कृषकों को नई-नई तकनीकों के बारे में जानकारी उपलब्ध करनी चाहिए।

अतः उपरोक्त सुझावों के साथ ही कृषि विकास स्तर में प्रादेशिक क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लाभों से कभी वंचित नहीं होना चाहिए। चूँकी हरियाणा एक कृषि प्रदेश है और हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से कृषि पर ही आधारित है। कृषि का सम्पूर्ण विकास क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर किए बैगर नहीं हो सकता है।

प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या के भरण-पोषण, बेरोजगारी, निष्कर गरीबों तथा आम आदमी के जीवन स्तर को उँचा उठाने, उद्योगों में कच्चे माल उपलब्ध कराने के लिए कृषि के प्रादेशिक क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करना हमारे लिए अति आवश्यक है तभी जाकर हरियाणा में सम्पूर्ण क्षेत्रीय विकास हो पायेगा।

**सन्दर्भ ग्रन्थ -**

1. हरियाणा एक अध्ययन (2004) प्रतियोगिता साहित्य सीरिज।
2. बंसल सुरेश चन्द्र (2013) भारत का वृहद भूगोल मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ।

3. कलवार एस.सी. एवं नन्द किशोर (1994) सामाजिक आर्थिक भूगोल, पोईण्टर पब्लिशर्स जयपुर।
4. लाल एस.डी. (2004) जलवायु विज्ञान, शारदा पुस्तक भवन इलाहबाद।
5. कुल श्रेष्ठ के.पी. (1981) जय भूगोल किताब घर कानपुर।  
कुमार प्रमीला, शर्मा श्रीकमल (2000) कृषि भूगोल, मध्यप्रदेश, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल।



**Mrs. Anjana**  
**Assistant Professor, GCW, Sec. 18, Rewari(Haryana) .**